date under Section 47 of the said Act shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt)]

Dr.SREEPARVATHY S.L., Under Secy

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2017

सं. 65/2017-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 1421(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, ऐसे व्यक्ति को, इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक स्रोत जिससे उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर एकत्र करना अपेक्षित है और जो एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख की रकम से अनिधक अखिल भारतीय आधार पर संगणित किए जाने वाले संकलित व्यापारावर्त रखते हों, के माध्यम से, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट आपूर्ति से भिन्न सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति को उक्त अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रुप में विनिर्दिष्ट करती है:

परंतु ऐसी आपूर्ति का सकल मूल्य, जिसकी गणना अखिल भारतीय स्तर पर की जानी है, संविधान के अनुच्छेद 279क के खंड (4) के उपखंड (छ) में यथाविनिर्दिष्ट "विशेष श्रेणी के राज्यों" के मामले में, जम्मू-कश्मीर से भिन्न, 10 लाख की राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी-(पीटी)]

डा. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2017

No. 65/2017 - Central Tax

G.S.R. 1421(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 23 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby specifies the persons making supplies of services, other than supplies specified under sub-section (5) of Section 9 of the said Act through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under Section 52 of the said Act, and having an aggregate turnover, to be computed on all India basis, not exceeding an amount of twenty lakh rupees in a financial year, as the category of persons exempted from obtaining registration under the said Act:

Provided that the aggregate value of such supplies, to be computed on all India basis, should not exceed an amount of ten lakh rupees in case of "special category States" as specified in sub-clause (g) of clause (4) of article 279A of the Constitution, other than the State of Jammu and Kashmir.

[F. No.349/58/2017-GST(Pt)]

Dr.SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2017

सं. 66/2017-केंद्रीय कर

सा.का.िन.1422 (अ).—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या 40/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग- II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.िन. संख्या 1254(अ) तारीख